संलग्क " ख "

कार्यालय :- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर ।

1- विषय ....
के लिए निविदा (उन वस्तुओ का नाम लिखिए जिनके लिए निविदा पेश किये गये हो)

2- निविदा देने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता :-

3-पते पर भेजा गया :- ---------------------------------

4-संदर्भ ---

5-निविदा का शुल्क ----------------रूपये -------- कद रसीद सं0 --------------------दिनांक ---------------को जमा करा दिये गये है ।

6-हम --द्वारा जारी किये गये टेण्डर नोटिस संख्या ------------------दिनांक -----------वर्णित सभी, शर्ते को तथा संलग्न कागजो में दी गयी उक्त निविदा कोटि की अग्रिम शर्तो को भी (जिनके कि सभी पृष्ठ पर हमने उनमें वर्णित शर्तो को स्वीकार करने के लिये हस्ताक्षर किये है मानने के लिए बाध्य है ।

7-------------------------------------निविदा करने की दरे लिखित है ।

8-फर्म आदेश के प्राप्त होने की आदेश संख्या भी अंकित करें । अवधि के भीतर --भेज दिया जावेगा ।

9-उपरोक्त अंकित दरें ------------------समय के लिए ही मान्य है । पारस्परिक समझौते के जरिये समयावधि बढाई जा सकती है ।

10------------------------------------रूपये का ----------------के पत्र में ड्राफ्ट डिपोजिट रसीद संख्या --------------------दिनांक --------- एवं संबंधित परिमण्डल के आयकर अधिकारी का चुकती करने का प्रमाण पत्र एवं आि त बिक्री कर / वाणिज्य कर अधिकारी से बिक्री कर चुकती प्रमाण-पत्र उसके साथ संलग्न किये गये है ।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

संलग्न:-

1- -----------------------------

2- -----------------------------

3- -----------------------------

निविदा की शर्ते

निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्ण रूपेण ध्यान में रखकर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें।

1. निविदाएं मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी है।

2. फार्म के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, बिक्रीकर, पंजीयन नम्बर एवं बिक्रीकर का चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करें।

3. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जावें या टंकित हो तथा दरे शब्दों एवं अंकों दोनों में बिना कॉट छांट के स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए।

4. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित सामग्री का निर्माता/अधिकृत विक्रेता/डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

5. दरें गन्तव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर तक एफ.ओ.आर. की अंकित की जावें तथा सभी कर एवं लागतें समाहित होनी चाहिए।

6. सफल निविदादाता से एकमुश्त अथवा 31.03.2011 तक कभी भी खरीद की जा सकती है।

7. निविदाएं खोले जाने की दिनांक से तीन माह तक निविदा की दरें स्वीकृत की जा सकेगी, उसके बाद स्वतः निरस्त हो जायेगी।

8. निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों के आइटम्स की सप्लाई का अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा। (सबलेट नही करेगा)

9. निविदा में मांगी गयी सामग्री का पूर्ण विवरण (साईज, मैक, स्पेसिफिकेशन, शर्ते, ड्राईग्स आदि) देना होगा।

10. यदि माल की आपूर्ति क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद

क्रेता अधिकारी निविदा/संविदा को कभी भी किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

11. निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करवाना अनर्हता होगी।

12. क्रय आदेश जारी किये जाने के बाद माल की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में की जानी होगी।

13. यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम क्रय करता हैं तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

14. निविदा के साथ निविदादाता को निम्नानुसार बयाना राशि का डीडी (निविदा में शामिल मद अनुसार) रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के नाम जमा कराना होगा।

Name of Item	**Earnest Money**
Optimizer (21'x12')	11,000/-
Computer Table	1,600/-
Computer Chair	2,400/-
Aluminimum Stairs	1,000/-
Executive Chairs	5,000/-
Photo stat machine	3,000/-
Water Cooler 40 Ltr.	1,000/-
Water Cooler 60 Ltr.	1,100/-

15. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 5 प्रतिशत सिक्यूरिटी डिपोजित जमा करानी होगी, बयाना राशि सिक्यूरिटी डिपोजिट में समायोजित कर ली जावेगी।

16. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले निविदा प्रस्ताव को वापिस लेता है या रूपान्तरण करता है या विदित समय में करार को निष्पादित नहीं करता है या निविदा स्वीकार करने के बाद सिक्यूरिटी डिपोजित जमा नहीं करवाता है या आदेशित सामग्री की आपूर्ति करने में विफल रहता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।

17. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बतायें निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।

18. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी।

19. क्रय आदेश की निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर परिसमापित नुकसानी (लिक्वीडिटी डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी।

   क. निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए क्रय आदेश राशि का 2.5 प्रतिशत राशि

   ख. निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के विलम्ब के लिए क्रय आदेश राशि का 5 प्रतिशत

   ग. निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से तीन चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए क्रय आदेश राशि का 7.5 प्रतिशत राशि

   घ. निर्धारित सुपुर्दगी अवधि का तीन चौथाई अवधि से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए क्रय आदेश राशि का 10 प्रतिशत राशि

20. आपूर्ति में विलम्ब की अवधि की गणना के लिए आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जावेगा एवं परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

21. क्रय समिति को निविदा वस्तुओं की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णित करने का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समिति न्यूनतम निविदादाता व अन्य निविदादाताओं को निगोसियेशन के लिए आमंत्रित कर सकती है। इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर अथवा सामग्री वांछित गुणवत्ता की न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

22. आपूर्ति की गयी सामग्री की कम से कम एक वर्ष की गारन्टी/वारन्टी शामिल होगी। गारन्टी/वारन्टी अवधि में किसी भी प्रकार की मरम्मत अथवा रिपलेसमेन्ट अथवा अतिरिक्त पार्टस के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।